SALASAR STEEL AND POWER LIMITED

मेसर्स सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम गेरवानी, जिला रायगढ़ के प्रस्तावित क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 21.02.2024 के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दे एवं आवेदक का कथन :–

क्र.	लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दे	उद्योग प्रतिनिधि द्वारा दिया गया जवाब
1	पाईनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज के वेलेडिटी खत्म हो चुकी है ।	जिस समय हमने ई.आई.ए. प्रस्तुत किया था उस समय हमारी वैधता अप्रेल 2023 तक थी जो कि वर्तमान में बढ़कर सितम्बर 2025 तक है ।
2	उद्योग द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु क्या उपाय किया जायेगा ?	हमारे द्वारा प्रस्तावित संयंत्र में स्पंज ऑयरन उत्पादन इकाई, पैलेट उत्पादन इकाई में ई.एस.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है इसके साथ ही जो प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस इकाई और फेरो एलायज उत्पादन इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जो उपकरण लगेंगे उसकी दक्षता जो पार्टिकुलेट मेटर निकलेंगे उसकी क्षमता 30 मिलीग्राम सामान्य घनमीटर के अनुरूप होगी। दूषित जल के उपचार के लिये हमारे द्वारा ई.टी.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है और औद्योगिक दूषित जल को ई.टी.पी. में उपचारित कर डस्ट सप्रेशन, ईंट निर्माण और ऐश कंडशनिंग में परिसम में ही पुर्नउपयोग किया जायेगा, बाहर किसी भी प्रकार के दूषित जल का उत्सर्जन नहीं किया जायेगा साथ ही घरेलू दूषित जल जो निकलेगा उसका उपचार सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट में करके सिंचाई के उपयोग में किया जायेगा ये भी परिसर के अंदर ही किया जायेगा बाहर किसी भी प्रकार का निस्तारण नहीं किया जायेगा। साथ ही केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये समस्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों को भी अपनाया जाएगा ताकि आसपास के कृषि, वनोपज, जंगल तथा जीव जन्तु पर विपरीत प्रभाव न पडे। प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि उत्सर्जन शासकीय मानकों के अनुरूप ही होगा।
3	स्थानीय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने की उद्योग की क्या	शासन के नियमानुसार स्थानीय लोगो को रोजगार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी।

	नीति है ?	वर्तमान में हमारे द्वारा जो संचालित इकाई है उसमें 273 लोगों का नियोजन किया गया है इसमें 252 व्यक्ति लोकल छत्तीसगढ़ से है, इसके अतिरिक्त प्रस्तावित इकाई में हमारे द्वारा 350 व्यक्तियों का नियोजन किया जाना प्रस्तावित है ये डायरेक्ट इम्प्लाईमेंट रहेगा और इनडायरेक्ट इम्प्लाईमेंट लगभग 500 व्यक्तियों का रहेगा, कुल 850 व्यक्तियों का नियोजन प्रस्तावित इकाई में किया जाना प्रस्तावित है।
4	प्रस्तुत ई.आई.ए. में वन्य जीवो के बारे में अध्ययन नहीं किया है ?	प्रस्तुत ई.आई.ए. में वाईल्ड लाईफ कंजरवेशन प्लान या हाथी प्रभावित क्षेत्र जो है उसके लिये अध्ययन किया गया है और इसमें हमारे द्वारा 10 अलग-अलग वर्षो में कुल 39,52,000 का राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित था जो हमे रिकम्न्डेशन मिला है फारेस्ट डिपार्टमेंट से वो एकमुश्त राशि में जमा करने के लिये बोला है। रिकम्न्डेशन भी हमारा एप्रुव्ड हो गया है और जब हम फाईनल ई.आई.ए. सबमिट करेंगे उसमें हमारे पास रिकम्न्डेशन है।
5	क्षेत्रीय लोगो के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये आपकी क्या योजना है ?	डी.एम.एफ. फंड इण्डस्ट्रीयल इकाई में लागू नहीं होता है। सी.एस.आर. कंपनी विथड्रा के अनुरूप किया जाता है और आगे भी किया जायेगा, इसके अतिरिक्त जो पर्यावरण नियमानुसार जो कार्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पासिबिलीटी है उसमें भी सामाजिक विकास कार्यो का निर्वहन किया जायेगा। युवाओं का जो सुझाव था कि ओपन जीम और स्कील डेवलपमेंट के लिये हम लोग सी.एस. आर. मद और सी.ई.आर. मद से जो भी मदद हो सकती है किया जायेगा।
6	जन सुनवाई 45 दिन के अन्दर नहीं की गयी है अतः यह अवैध है ?	ये जो नियम 45 दिन का है वो जनसुनवाई होकर परियोजना प्रस्तावक का प्रपोजल फाईनल ई.आई.ए. के लिये एम.ओ.ई.एफ. में चला जाये उसके लिये ये समय-सीमा निर्धारित की गई थी, ऐसी कोई बाध्यता ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में नहीं है कि 45 दिन के अंदर ही करा कर वहा पर जाना है ये परियोजना प्रस्तावक के मदद के लिये ये लिमिट डिफाईन की गई है।
7	उद्योग द्वारा नियमानुसार वृक्षारोपण नही किया गया है ?	प्रस्तावित परिसर में 11.86 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जा रहा है तथा इसे और सघन किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान पट्टिका की

SALASAR STEEL AND POWER LIMITED

		चौडाई न्युन्तम 15-20 मीटर है तथा परिसर में अब तक कुल 30000 नग वृक्षारोपित किये गये है जिसमें से लगभग 25606 नग पेड़ जीवित है। अगामी मानसून में 5000 नग वृक्षारोपण और किया जावेगा। 425 वृक्षों का जो फिगर ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिया गया है वो उन वृक्षों का है जिसे ट्रांसलोकशन करके दूसरे जगह विस्थापित करना है उन वृक्षों की संख्या के बारे में वर्णन है उसके 1 वृक्ष के अगेंस्ट में हमारे द्वारा 5 वृक्षो का रोपण किया जायेगा।
8	उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के लिए जल की आपूर्ति कैसे की जाएगी ?	हमको पूर्व में ही 3.65 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष की अनुमति प्रदान की गई थी और हमारी विस्तार इकाई का जो रिक्वायरमेंट है वो उसी से लिया जायेगा हमें अतिरिक्त किसी भी प्रकार से वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
9	प्रस्तुत ई.आई.ए. में टोपोशीट एवं इनवायरमेंटल सेंसिविटी के बारे में नहीं बताया गया है ?	प्रस्तुत ई.आई.ए. में टोपोशीट एवं इनवायरमेंटल सेंसिविटी चेप्टर - 2 में दी गई है।

वास्ते, मे. सालासर स्टील एंड पावर लि.

(अधिकृत अधिकारी)